

राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग
कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : टीपीआर 9110 / से.का. / 2016 /

दिनांक :- 9 MAY 2016


आदेश

नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प.2(11)नविवि/II/2010 पार्ट दिनांक 06.05.2016 द्वारा जारी स्वीकृति के अनुसरण में, श्री मेवा सिंह को; नगर नियोजन विभाग में उपलब्ध सहायक नगर नियोजक के रिक्त पद के विरुद्ध; इनके कार्यभार संभालने की तिथि से एक वर्ष अथवा नियमित कार्मिक का पदस्थापन होने तक, जो भी पहले हो, के लिए राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 164(ए) एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.17(10)डीओपी/ए-II/94 दिनांक 10.02.2016 में विहित शर्तों एवं दर पर संविदा पर निम्नानुसार पुनर्नियुक्त किया जाता है :-

| क्र. सं. | सेवानिवृत्त कार्मिक का नाम एवं पद | सेवानिवृत्ति तिथि | सेवानिवृत्त कार्मिक का वेतन बैंड/ग्रेड-पे | संविदा पर पुनर्नियुक्ति कार्यालय | पुनर्नियुक्ति का पद | समेकित पारिश्रमिक राशि प्रतिमाह |
|----------|-----------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | श्री मेवा सिंह, सहायक नगर नियोजक | 30.11.15 | 15600-39100 5400 | मुख्यालय, जयपुर | सहायक नगर नियोजक | 14,390/- |

- कॉलम संख्या 7 में दर्शित समेकित पारिश्रमिक राशि इस शर्त के अधधीन देय होगी कि समेकित पारिश्रमिक राशि अन्तिम मूल वेतन में से पेंशन राशि को कम किये जाने पर शेष रही राशि से अधिक नहीं होगी।
- कार्यग्रहण करने से पूर्व श्री मेवा सिंह को विभाग के परिपत्र दिनांक 10.02.2016 के साथ संलग्न परिशिष्ट-"ख" के अनुसार विभागाध्यक्ष के साथ विस्तृत करार प्रस्तुत करना होगा।
- संविदा पर पुनर्नियुक्त श्री मेवा सिंह एक वर्ष में 12 दिवस की वैतनिक आकस्मिक अवकाश का हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।
- श्री मेवा सिंह को यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञात होगा।
- संविदा पुनर्नियुक्ति, संविदा की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर, विभाग द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अधधीन होगी।

6. संविदा वचनबंध, संविदा की कालावधि के अवसान पर या नियमित रूप से चयनित व्यक्तियों की उपलब्धता पर, जो भी पहले हो, अभिमुक्त होगा।
7. संविदा पुनर्नियुक्ति आधार पर लगे हुए श्री मेवा सिंह को गोपनीय या संवेदनशील प्रकृति के कार्य या नकदी संभालने/रोकड़बही को लिखने और रोकड़िया के रूप में कृत्य करने से संबंधित कार्य न्यस्त (Entrust) नहीं किये जायेंगे।


(श्रीमती इन्दिरा)
मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान, जयपुर।


क्रमांक : टीपीआर 9110/से.का./2016/13988

दिनांक :-

- 9 MAY 2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ नगर नियोजक (जेडएसपी), जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. मुख्य लेखाधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
4. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
5. श्री मेवा सिंह, सेवानिवृत्त सहायक नगर नियोजक, 381, ऑफिसर्स कैम्पस, गुरुनानक मार्ग, सिरसी रोड, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।


(सुभाष चन्द्र शर्मा)
वरिष्ठ नगर नियोजक(मुख्यालय)
राजस्थान, जयपुर।